बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 48 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 28 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

आपका पैसा नहीं, सम्मान चाहिए, समय रैना को दिव्यांगों के लिए करना होगा स्पेशल शो; सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमेडियन समय रैना से जुड़े मामले में अपना आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय रैना समेत अन्य कॉमेडियन्स को दिव्यांग लोगों के लिए एक स्पेशल शो आयोजित करने का आदेश दिया है। वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि बाकी कंटेंट क्रिएटर्स पर यह निर्भर है कि वे दिव्यांग व्यक्तियों को अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजी करें। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह आदेश क्यूर एसएमए इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर एक मामले में दिया। गौरतलब है कि समय रैना ने अपने एक शो के दौरान स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी से पीड़ित लोगों के ऊपर चुटकुला सुनाया था।

पराली नहीं तो कौन बना रहा दिल्ली की हवा जहरीली, डीएसएस के डेटा ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद से वायु प्रदूषण का प्रकोप जारी है। ऐसा पहली बार नहीं है बल्कि हर साल दिल्लीवासी जहरीली हवा का सामना करने को मजबूर होते हैं। इसे लेकर हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने का जिम्मेदार कौन है? आमतौर लोग मानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के खेतों में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली के धुएं की वजह से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का डेटा एक अलग तस्वीर दिखाता है। DSS भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अक्टूबर की शुरुआत में दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने में पराली जलाने का योगदान लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन 17 अक्टूबर तक, इसका हिस्सा बढ़कर 2.62 प्रतिशत हो गया और इसी समय एक्यूआई 250 को पार कर गया था। इसके बाद नवंबर में हालात और बदतर हो गए। 12 नवंबर को पराली का दिल्ली के प्रदूषण में हिस्सा 22.47 परसेंट था, और एक्यूआई बढ़कर 418 (यानी गंभीर श्रेणी) में पहुंच गया था। इसके बाद अगले हफ्ते 18-20 नवंबर को इसका हिस्सा 5.4 परसेंट और 2.8 परसेंट के बीच ऊपर-नीचे होता रहा, फिर भी एक्यूआई 325 से ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा। ऊपर दिख रहे ग्राफ के अनुसार देखा जा सकता है कि 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक सिर्फ आठ ऐसे दिन रहे हैं जब दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान 10फीसदी से अधिक रहा। इसमें सिर्फ 12 नवंबर ऐसा दिन था

जब पराली का दिल्ली के प्रदूषण में हिस्सा 20फीसदी से अधिक रहा। इस तरह यह साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली के प्रदूषण की बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट व ऐसे कारक हैं जिनका स्रोत ज्ञात नहीं है। दिल्ली की जहरीली हवा सिर्फ खेतों में पराली जलाने की वजह से नहीं है बल्कि यह इलाके में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और अज्ञात वजहों का एक मिला-जुला रूप है। इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के डेटा से पता चलता है कि दिल्ली में प्रदूषण के और भी बड़े कारण हैं। राजधानी से सटे शहर, जिनमें गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, करनाल, मेरठ और दूसरे शहर शामिल हैं, जो दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने में 29.5 प्रतिशत योगदान देते हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट का 19.7 प्रतिशत हिस्सा है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक, मंगलवार को पराली जलाने से सिर्फ 1.5 प्रतिशत प्रदूषण हुआ जबकि दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 19.6 प्रतिशत था, जो सभी स्रोतों में सबसे यादा है। इसके एक दिन बाद बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 21.6 प्रतिशत था, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है। ट्रांसपोर्ट के अलावा घरों से निकलने वाला एमिशन (4.8 प्रतिशत), आस-पास की इंडस्ट्रीज (3.7 प्रतिशत) और कंस्ट्रक्शन की धूल (2.9 प्रतिशत) हिस्सा दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने में शामिल है, लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात है कि इसमें 34.8त हिस्सा अज्ञात सोर्स से आता है। इससे इसलिए भी चिंता बढ़ जाती है क्योंकि जब तक प्रदूषण के सोर्स का पता नहीं चल जाता, तब तक उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि यह आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का डाटा है, जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

स्मॉग के बीच कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रदूषण के कणों का उत्सर्जन कम से कम हो, लेकिन यह तभी संभव है जब गाड़ियां कम चलें, कूड़ा न जले, निर्माण कार्यों में धूल न उड़े, सड़कें साफ रहें, पानी का छिड़काव हो। अधिक प्रदूषण के दिनों में ऐसे ही कदमों से राहत मिल सकती है। सार्वजनिक परिवहन की मजबूती पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्रेप में बदलाव के साथ उसका सख्ती से पालन भी जरूरी है।

फर्जी एक्यूआई की शिकायत, आप अध्यक्ष का आरोप - अदालतें स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहीं?

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आप (आम आदमी पार्टी) दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि यह जानते हुए भी कि भाजपा वायु प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है, अदालतें स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोगों के मन में एक सवाल है। जब दिल्ली में आप की सरकार थी, तब जब भी अस्पताल में दवाओं की कमी होती थी या कोई अन्य समस्या होती थी, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए जाने जाते थे। अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता था, तो जज स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए जाने जाते थे। आप नेता ने सवाल किया कि क्या आज दिल्ली हाईकोर्ट यह नहीं देख सकता कि सभी एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी छिड़ककर फ़र्ज़ी आँकड़े दिखाए जा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट यह नहीं देख सकता कि जब भी एक्यूआई बढ़ता है, एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह सब देखने के बाद अदालतों को खुद कार्रवाई करनी चाहिए? जनता कब से अपने वकीलों के साथ अदालतों के दरवाज़े खटखटा रही है? मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि इन मामलों में कार्रवाई करे क्योंकि आँकड़ों में हेराफेरी का तरीका तेज़ी से प्रचलित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नतीजतन, जनता बीमार पड़ती रहेगी और भाजपा सरकार बहाने के तौर पर प्रदूषण के आँकड़े कम करने का दावा करेगी। उन्होंने माँग की कि DPCC (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) और CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के बजाय आँकड़ों में हेराफेरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले, प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह सवाल अलग है। यहाँ, समस्या यह है कि वे प्रदूषण के आंकड़ों में कैसे हेरफेर कर रहे हैं। डीपीसीसी और सीपीसीबी, जो प्रदूषण कम करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, अब आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। गुरुवार को, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में थी, जिसका औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 355 था। वायु गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव रहा, कुछ निगरानी केंद्रों ने सुबह एक्यूआई का स्तर गंभीर श्रेणी (400 से ऊपर) दर्ज किया। मुख्य प्रदूषक पीएम 2.5 था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण III प्रतिबंधों को रद्द करने के एक दिन बाद, गुरुवार को दिल्ली में ज़हरीली धुंध की एक परत छाई रही और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।

मेरी पूंजी, मेरा अधिकार ने जगाई उम्मीद : दिल्ली सीएम ने बताया जन-सशक्तिकरण का माइलस्टोन, 85 करोड़ की वापसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय वित्त राय मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा आयोजित वित्तीय जागरूकता मेगा कैंप में भाग लिया। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और नागरिकों को उनकी लावारिस जमा राशि से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में निवासियों, बैंक अधिकारियों और वित्तीय विशेषज्ञों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल की प्रशंसा की और पिछले एक दशक में नागरिकों में बढ़ती वित्तीय जागरूकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने बैंकिंग में आम लोगों की बड़ी भागीदारी देखी है। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रति उनकी जागरूकता और रुचि बढ़ी है।

उन्होंने शासन में बदलाव पर ज़ोर दिया, खासकर लोगों को सीधा लाभ सुनिश्चित करने पर। गुप्ता ने कहा, "पहले राजनेता कहते थे कि अगर हम एक रुपया भेजते हैं, तो केवल 10 पैसे ही लोगों की भलाई के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के शासन में यह संभव हो गया है कि पूरा एक रुपया आम लोगों तक पहुँचे, और आप सभी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।

सरकार की प्रमुख पहल मेरी पूँजी, मेरा अधिकार का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने इसे वित्तीय प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह योजना सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बिना दावे वाली धनराशि, जमा राशि और म्यूचुअल फंड को उनके असली मालिकों को वापस करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि मेरी पूँजी, मेरा अधिकार योजना के ज़रिए बिना दावे वाली धनराशि, पैसा और म्यूचुअल फंड लोगों तक वापस पहुँचाने का विज़न सकारात्मक दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना सरकार का आम लोगों से सीधा संबंध स्थापित कर रही है और सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। इस पहल को अद्भुत और अनोखा बताते हुए गुप्ता ने एएनआई से कहा कि जनता के करोड़ों रुपये किसी न किसी रूप में बैंक खातों में पड़े थे... जनता को उसका पैसा मिलना जनहित में है। इससे ज़्यादा पारदर्शिता और क्या हो सकती है। साफ़ नीयत और नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज जनता को उसका पैसा मिल रहा है। अब तक लोगों को 85 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस के फैन हुए कई देश, फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भी खरीद सकता है भारतीय मिसाइल

नई दिल्ली। फिलीपींस के बाद क्या अब इंडोनेशिया भी भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने जा रहा है? ये सवाल इसलिए, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ ने भारत के दौरे पर आए इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजफी सजमसोएद्दीन को ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका उपहार स्वरूप दी है. इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री सजमसोएद्दीन से हुई वार्ता के बाद प्रशंसा करते हुए राजनाथ सिंह ने गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को कहा, 'क्षेत्रीय सुरक्षा पर आधारित भारत और इंडोनेशिया का रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गया है.' रक्षा मंत्री ने कहा, 'आज विचार-विमर्श के दौरान, हमने अपने रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा की.'जानकारी के मुताबिक, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे के लिए भारत अपने ही किसी राष्ट्रीय बैंक से लोन भी देने के लिए तैयार हो गया है. माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का ये सौदा करीब 450 मिलियन डॉलर (करीब 3,877 करोड़ रुपये) का होने जा रहा है. दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भारत ने रूस की मदद से देश में ही तैयार किया

है. ब्रह्मोस भारत का प्राइम स्ट्राइक वैपेन है, जिसे भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नामों को मिलाकर नाम दिया गया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर-वर्जन को पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था. माना जाता है कि दुनिया की कोई रडार, हथियार या फिर मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है यानी एक बार ब्रह्मोस को दाग दिया तो ब्रह्मास्त्र की तरह इसे कोई नहीं रोक सकता है और अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है. साल 2023 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन की तीन बैटरियां निर्यात की थी. इस सौदे की कीमत करीब 2,700 करोड़ रुपये की थी. फिलीपींस ने अपने समुद्री-तट पर इन ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया है. दरअसल, फिलीपींस की तरह ही इंडोनेशिया की भी साउथ चाइना सी को लेकर चीन से तनातनी चल रही है. ऐसे में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का करार मायने रखता है. इसी वर्ष (2025 में) गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी के ऑफिस का दौरा भी किया था. ब्रह्मोस मिसाइल भारत के उन चुनिंदा हथियारों (मिसाइलों) में से एक है, जिसे थलसेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही इस्तेमाल करती है.

वायुसेना के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट, सुखोई में भी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है. थलसेना की आर्टलरी यानि तोपखाना भी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करता है. नौसेना के युद्धपोतों को भी ब्रह्मोस से लैस कर दिया गया है. जिससे नौसेना के शिप और अधिक घातक बन गए हैं और समंदर से जमीन तक पर टारगेट करने में सक्षम बन गए हैं.

द्वारका में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, भाऊ गैंग का इनामी शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली। द्वारका जिले की एंटी-नार्कोटिक्स सेल ने भाऊ गैंग के शूटर और 25 हजार के इनामी बदमाश अंकित को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर तीन राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली हेड कांस्टेबल कुलदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अंकित के पैर में लगी और उसे काबू कर लिया गया. पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2025 को रोहित लांबा पर चार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी. इस मामले में नजफगढ़ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें भाऊ गैंग की संलिप्तता सामने आई थी. उस मामले में चार आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे. लेकिन उस हमले में शामिल दो मुख्य शूटर अंकित और दीपक फरार चल रहे थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर फरार शूटरों की पहचान की गई. दोनों पर दिल्ली पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. एंटी-नार्कोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली कि आरोपी अंकित नजफगढ़ के साई बाबा मंदिर के पास आने वाला है. जिस पर पुलिस ने ER-II के पास बस स्टैंड के नजदीक ट्रैप लगाया. सुबह लगभग 8:05 बजे अंकित बाइक पर पहुंचा और पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा. घबराहट में उसने पुलिस पर तीन राउंड फायर किए. इनमें से एक गोली हेड कांस्टेबल कुलदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई राउंड फायर किया. जिसमें एक गोली अंकित के दाहिने पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे काबू में कर लिया. आरोपी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और वह कई गंभीर मामलों में पहले भी शामिल रहा है. वर्ष 2020 में उसने बहादुरगढ़ CIA स्टाफ पर फायरिंग कर एक कॉन्स्टेबल को घायल कर दिया था. पुलिस अब उससे पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गयी है.

भारतीय कानूनों में परस्पर- विरोधी प्रावधानों की जटिलता -अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

वैश्विक स्तर पर भारतीय कानूनी ढांचा बहुस्तरीय बहु- आयामी और बहु-विषयक है।भारतीय विधिक व्यवस्था दुनियाँ की सबसे विस्तृत,जटिल और बहु-स्तरीय प्रणालियों में से एक है। यहां संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाएँ कानून बनाती हैं, न्यायालय इनके अर्थ और दायरे को निर्धारित करते है, और विभिन्न नियामक संस्थाएँ इन कानूनों के अनुपालन की निगरानी करती है। इस व्यापक ढांचे में एक दिलचस्प और अक्सर विवादास्पद तथ्य यह है कि कई बार विभिन्न कानूनों की अलग-अलग धाराएँ एक ही व्यवहार को लेकर विपरीत स्थिति प्रकट करती हैं। कहीं कोई कृत्य एक कानून में प्रतिबंधित है,तो दूसरा कानून उसी कृत्य को अपराध मानने का आधार मान लेता है। यही विरोधाभासी संरचना न्यायिक बहस, विधिक भ्रम, और कई बार विवादों का कारण बनती है।आखिरकार एक नागरिक, एक व्यवसायी या एक संस्था एक ही घटना के परिणाम स्वरूप कई कानूनों के दायरे में एक साथ आ सकती है। इससे कई बार यह भ्रम पैदा होता है कि यदि किसी एक कानून का उल्लंघन हुआ है,तो क्या उसका प्रभाव दूसरे कानून के दायित्वों पर भी पड़ेगा? मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह रिसर्च किया हूं कि भारतीय कानूनी प्रणाली में ऐसे अनेक उदाहरण है (1) सिविल बनाम क्रिमिनल दायित्व एक ही घटना, दो मुकदमे उदाहरण- धोखाधड़ी आईपीसी की धारा 420- आपराधिक धोखाधड़ी, भारतीय संविदा अधिनियम 1872-अनुबंध उल्लंघन-एक ही घटना में पीड़ित,सिविल सूट में हर्जाना ले सकता है,और आपराधिक मामला दर्ज कर सकता है।यानी एक कृत्य दो कानूनों में अलग पहचान रखता है। (2) घरेलू विवाद-पारिवारिक कानून बनाम आपराधिक कानून-धारा 498ए आईपीसी- क्रूरता एक आपराधिक अपराध- हिंदू विवाह अधिनियम,1955- क्रूरता तलाक का आधार- यहां वही व्यवहार एक कानून में अपराध है,दूसरे में वैवाहिक अधिकार समाप्ति का आधार। (3) कंपनी कानून बनाम आपराधिक कानून- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447-धोखाधड़ी पर कारावास आईपीसी की धारा 406/420- आपराधिक विश्वासघात/ धोखाधड़ी कंपनी के निदेशक पर एक साथ दोनों लागू हो सकते है। इसका मतलब-एक व्यावसायिक विफलता को इस बात पर परखा जाता है कि उद्देश्य दुष्ट था या नहीं। (4) पर्यावरण कानून बनाम दंड संहिता- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 दंड प्रशासनिक /विशेषआईपीसी की धारा 268 (पब्लिक न्यूसेंस), सार्वजनिक कष्ट अपराध एक ही प्रदूषणकारी कृत्य दो अलग- अलग परिणाम दे सकता है। (5) पीएमएलए बनाम आईपीसी- एक अपराध, दो कानून पीएमएलए (धनशोधन कानून) -अपराध से अर्जित धन की धुलाई, आईपीसी अपराध-मूल अपराध यहां पीएमएलए द्वितीयक अपराध है। मूल अपराध आईपीसी में दर्ज होगा, पर धनशोधन अलग अपराध है-दोहरी जिम्मेदारी।(6)कर कानून बनाम अनुबंध कानून- कई बार अनुबंध वैध होता है, पर उसमें कर चोरी हो सकती है परंतु टैक्स दंड लगेगा, पर अनुबंध जारी रहेगा।(7) इंश्योरेंस कानून बनाम फौजदारी कानून में किसी दुर्घटना में अपराध हुआ हो फिर भी बीमा कंपनी को मुआवजा देना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों कानून के दायरे अलग है। (8) दिवालियापन संहिता बनाम कंपनी अधिनियम - आईबीसी में देनदारी वसूली प्राथमिक है, जबकि कंपनी अधिनियम प्रशासनिक विनियमन को नियंत्रित करता है।(9) आपराधिक कानून बनाम सिविल कानून-एक ही घटना में व्यक्ति-सिविल क्षतिपूर्ति देने का दायित्व रख सकता है,और साथ ही आपराधिक मुकदमे का सामना भी करे -एक कानून का उल्लंघन दूसरेदायित्व को खत्म नहीं करता।यहाँ प्रश्न विशेष रूप से तब उभरता है, जब इन्कम टैक्स एक्ट,1961 की धारा 269एसएस, जो 20,000 हजार से अधिक नकद उधार/ ऋण/जमा लेने पर रोक लगाती है,और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138, जो चेक बाउंस होने पराआपराधिक दायित्व बनाती है, एक साथ सामने आएं। क्या यह संभव है कि यदि लेन-देन 20,000 हजार से अधिक नकद में हुआ और यह धारा 269एसएस का उल्लंघन था, तो चेक बाउंस के मामले में देनदारी ही समाप्त हो जाए? क्या आरोपी यह तर्क दे सकता है कि लेन-देन अवैध था, इसलिए, वह चेक के भुगतान का दायित्व नहीं रखता? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय विधि-व्यवस्था के मूल सिद्धांतों, न्यायालयों के निर्णयों, और अंतरराष्ट्रीय विधि-शास्त्रीय समझ के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक माह पूर्व इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय भी आया है। साथियों बात अगर हम भारत में कानूनों की संरचना की करें तो, कानूनों का बहु-स्तरीय स्वभाव- विरोधाभास क्यों उत्पन्न होते हैं? भारत में कानून तीन मुख्य क्षेत्रों में निर्मित होते हैं- (1) संवैधानिक कानून (2) सामान्य/ दंड कानून (जैसे आईपीसी, सीआरपीसी),(3) विशेष कानून जैसे आयकर अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,कंपनियों अधिनियम बैंकिंग विनियमन अधिनियम, एफईएमए, पीएमएलए आदि।इन विभिन्न समयों, उद्देश्यों और परिस्थितियों में बनाए गए कानून समान तथ्यात्मक स्थिति पर लागू होते है, तो इनकी परिभाषाएँ, दंड, प्रक्रियाएँ और दायित्व एक-दूसरे से भिन्न दिखाई देते है। यहीं कानूनी विरोधाभास की अनुभूति उत्पन्न करता है। असल में यह विरोधाभास नहीं बल्कि मल्टी-लेयर युडिशियल स्ट्रक्चर है,जहां हर कानून का लक्ष्य अलग है। उदाहरणतः-एक कानून व्यवहार को नियंत्रित करता है, दूसरा उसी व्यवहार में विफलता को दंडित करता है। साथियों बात अगर हम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसएस व एनआई एक्ट धारा 138 को समझने की करें तो नकद लेन-देन पर रोक का उद्देश्य,यह धारा क्या कहती है? इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 269 एसएस कहती है कि कोई भी व्यक्ति 20,000 हजार से अधिक का ऋण, उधार या जमा नकद में नहीं ले सकता।ऐसा करने पर यह एक फिस्कल यानी राजस्व से संबंधित उल्लंघन माना जाता है। इस धारा का उद्देश्य कोई सिविल या क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त नहीं करता, बल्कि केवल आयकर कानून के तहत पेनल्टी (धारा 271डी) को जन्म देता है। अर्थात यह कर-शास्त्रीय दंड है, न कि लेन-देन को अवैध घोषित करने वाला प्रावधान। धारा 138 एनआई एक्ट-चेक बाउंस पर क्रिमिनल देनदारी-यदि कोई व्यक्ति चेक जारी करता है और वह बाउंस हो जाता है, और उसका भुगतान वैधानिक नोटिस के बाद भी नहीं किया जाता, तो यह आपराधिक अपराध माना जाता है, सजा, जुर्माना और देय राशि का भुगतान कानूनन अनिवार्य हो जाता है। अब मुख्य प्रश्न उठता है क्या 269एस का उल्लंघन 138 को देनदारी को खत्म करता है? भारतीय न्यायालयों ने लगातार कहा है कि (1) 269एस एक टैक्स-लॉ उल्लंघन है, न कि लेन-देन को अवैध बनाने वाला प्रावधान। (2) लेन-देन भले ही नकद हुआ हो, पर ऋण अस्तित्व में बना रहता है। (3) यदि ऋण वास्तविक है और उसके भुगतान हेतु चेक जारी हुआ है, तो चेक बाउंस का दायित्व पूर्ण रूप से लागू होगा। यही स्थितिअंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में भी साफ झलकती है।अमेरिका -टैक्स उल्लंघन का कॉन्ट्रैक्ट दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं,चेक बाउंस (चेक फ्रॉड लॉ) अलग अपराध। यूके- कैश ट्रांजेक्शन लिमिट्स का उल्लंघन फिस्कल ऑफेन्स है,पर कमर्शियल लाइबिलिटी रिमेंस इंटैक्ट,यूरोपीय संघ-फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लॉ नॉट कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेशन।

अर्थात भारत का दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुरूप है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विरोधाभास नहीं- बहु-उद्देशीय न्याय व्यवस्था, पहली दृष्टि में भारतीय कानूनों की कई धाराएँ एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होती हैं। लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि, हर कानून समाज के अलग पहलू को नियंत्रित करने के लिएबनाया गया है।

इन विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय कानूनों के बीच दिखने वाला विरोधाभास वास्तव में विधायी उद्देश्यों की विविधता का परिणाम है न कि संरचनात्मक त्रुटि। हालांकि यह भी सत्य है कि जनता और व्यवसायों के लिए स्पष्टता की कमी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कानूनों में समन्वय, भाषा में सरलता और क्रॉस-रेफरेंसिंग प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि नागरिकों को यह समझने में आसानी हो कि किस स्थिति में कौन सा कानून लागू होगा।

सम्पादकीय...

बुलेट ट्रेन...

2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स) की मेजबानी अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से सौंप दी गई है जिससे गुजरात की और तेज तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हम आपको बता दें कि अब अहमदाबाद-गांधीनगर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार तेज होगी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली से मंजूरी के बाद गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और कराई पुलिस अकादमी स्पोर्ट्स हब का निर्माण अप्रैल 2026 में शुरू होकर 2028-29 में पूरा होगा। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे देश के भविष्य का परिवर्तनकारी मॉडल बताया था। देखा जाये तो राष्ट्रमंडल खेल और बुलेट ट्रेन, दोनों बड़े प्रोजेक्ट मिलकर गुजरात को एक नई पहचान देने जा रहे हैं और साथ ही यह 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को भी लगभग सुनिश्चित करेंगे। आज गुजरात एक बार फिर परिवर्तन के निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और इस बार यह परिवर्तन न केवल आर्थिक या विकास का है, बल्कि राजनीतिक भविष्य का भी निर्धारक है। अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी और मुंबईङ्कअहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तेजी से हो रही प्रगति ने गुजरात को वैश्विक मानचित्र पर नए अवतार में पेश करना शुरू कर दिया है। यह वही गुजरात है जिसने 2001-2014 के बीच विकास के जो बीज बोए थे, वे अब अंतरराष्ट्रीय रूप लेकर सामने आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के गुजरात में होने का मतलब है राय की खेल अधोसंरचना का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा, युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, राय की वैश्विक ब्रांडिंग होगी और आने वाले दशक में गुजरात को भारत की खेल राजधानी बनाने की तैयारी भी साफ दिखाई दे रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, कराई पुलिस अकादमी स्पोर्ट्स हब, नए एथलीट विलेज, हाई-परफॉर्मेंस लैब, विश्वविद्यालय आधारित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गुजरात को 2030 के बाद भी स्थायी लाभ देंगे। यह वही विरासत मॉडल है जिसने लंदन 2012 और बर्मिंघम 2022 को बदल दिया। अब यही मॉडल गुजरात में दिखेगा। हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से गुजरात में 20,000 से यादा होटल कमरों की मांग, नए स्टार्टअप, पर्यटन में उछाल और 30,000 से यादा नौकरियाँ बनेंगी। यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने जब पूरी दुनिया के लोग अहमदाबाद आयेंगे तो वह बाजारों से खरीदारी भी करेंगे, घूमने के लिए राय के विभिन्न इलाकों में भी जाएंगे जिससे गुजरात के कारोबारियों को बड़ी कमाई होना तय है। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री द्वारा सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण गुजरात के तेजी से बदलते परिवहन ढांचे की झलक है। 508 किलोमीटर के इस कॉरिडोर ने गुजरात को देश का पहला हाई-स्पीड रेल राय बनाने की तैयारी पूरी कर दी है। हम आपको बता दें कि 85ब से अधिक मार्ग वायाडक्ट पर है, 17 नदी पुल तैयार हैं, सूरतङ्कबिलिमोरा सेक्शन लगभग पूरा हो गया है और 2026 तक दो गुना क्षमता वाला SVPI एयरपोर्ट बन जायेगा। जब मुंबईङ्कअहमदाबाद का सफर 2 घंटे में तय होगा, तब गुजरात सिर्फ एक राय नहीं रहेगा बल्कि भारत का व्यापारिक हाई-स्पीड कॉरिडोर बन जाएगा। और यही वह बिंदु है जहाँ विकास राजनीति से मिलता है। 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव होंगे। जनता देखेगी कि किसके पास है एजेंडा? कौन दे सकता है भविष्य की तस्वीर? और कौन दिखा सकता है कि गुजरात सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक 'मॉडल स्टेट' है? यहाँ भाजपा की स्थिति और मजबूत हो जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स और बुलेट ट्रेन, ये दोनों प्रोजेक्ट सिर्फ विकास नहीं, भावना और आकांक्षा के भी प्रतीक हैं। गुजरात का युवा इससे अपने भविष्य को जोड़ चुका है। खेल में अवसर, नौकरी में वृद्धि और तकनीकी अधोसंरचना का नया युग आने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से भाजपा ने 2027 की चुनावी पिच पर दो बड़े विकास-सिक्सर पहले ही जड़ दिए हैं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की चमक, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन का आधुनिक भारत। यह पूरा नैरेटिव भाजपा के पक्ष में एकतरफा वातावरण बनाता है। विपक्ष भले ही अपने मुद्दे तलाश रहा हो, लेकिन उसके पास इस स्तर का कोई प्रतिविकल्पी विकास मॉडल नहीं है। इसलिए, निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और बुलेट ट्रेन, दोनों मिलकर गुजरात को अगले दशक के लिए पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। यही परिवर्तन की राजनीति भाजपा को 2027 के चुनाव में एक बार फिर भारी जीत की ओर ले जाती दिखाई दे रही है। गुजरात को विकास की जो दूरदृष्टि चाहिए वह इन दो विशाल परियोजनाओं के रूप में, पहले ही भाजपा के पास है।

सेना और अग्निपथ योजना

भारतीय सेना केवल एक सैन्य संगठन नहीं बल्कि यह भारत के शौर्य, साहस, बलिदान और अटूट राष्ट्र निष्ठा का जीवंत प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। युद्ध हो या शांति काल सेना ने हमेशा अभूतपूर्व सेवाएं दी है। सेना हमारे राष्ट्र की रीढ़ है जो हर चुनौती के सामने अडिग खड़ी रहती है। सेना के जवान और अधिकारी दिन-रात देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात रहते हैं। वे हमारे समाज के सबसे बड़े नायक हैं। यह सिर्फ वर्दी पहने हुए सैनिक नहीं बल्कि भारत के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के संरक्षक हैं। अब यह महसूस किया जा रहा है कि सेना में भर्ती के लिए युवाओं का आकर्षण कम होता जा रहा है। भारतीय सेना में 1.8 सैनिकों की कमी है। इस समय सेना की कुल संख्या 12.48 लाख है। रक्षा मंत्रालय ने सात महीने पहले संसद की स्थायी समिति को यह रिपोर्ट दी थी जो पद खाली पड़े है। इनमें से 92,410 पद जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) और नॉन-कमीशंड ऑफिसर (एनसीओ) के है। यह करीब 7.72 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। 1 अक्तूबर, 2024 तक सेना में स्वीकृत पद 11,97,520 के मुकाबले 11,05,110 पद भरे थे। इसके अलावा 16.71 प्रतिशत ऑफिसर्स की भी कमी है। 1 जुलाई, 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार सेना में 42,095 ऑफिसर (मेडिकल कोर, डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को छोड़कर) है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 50,538 है। सेना से हर साल करीब 60 हजार सैनिक रिटायर हो जाते हैं। कोविड के दौरान दो साल सैनिक भर्ती बंद रही। इस वजह से सेना में सीधे तौर पर 1.20 लाख सैनिकों की कमी हो गई। 2022 में अग्निपथ स्कीम शुरू होने के बाद हर साल करीब 40 हजार अग्निवीर सैनिक ही भर्ती हो रहे हैं। इस वजह से कोविड के दौरान बंद हुई भर्ती की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। सेना में जवानों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार अग्निवीरों की भर्ती के लिए हर वर्ष रिक्तियों को मौजूदा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने पर विचार कर रही है। अग्निवीर स्कीम शुरू होने से पहले सैनिकों की भर्ती आम ढंग से होती थी। जब 14 जून, 2022 को अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई तो रिक्रूटमेंट चार साल के लिए होनी थी। उस साल आर्मी, नेवी और इंडियन एयर फोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए कुल लगभग 46,000 वैकेंसी अलॉट की गई थीं। इसमें से 40,000 वैकेंसी आर्मी के लिए और बाकी नेवी और आईएएफ के लिए थीं। उस समय के प्लान के मुताबिक, अगले चार सालों में आर्मी के लिए अग्निवीरों की भर्ती धीरे-धीरे बढ़ाई जानी थी, जिसकी लिमिट 1.75 लाख थी। नेवी और आईएएफ के लिए रिक्रूटमेंट के आंकड़े भी अगले चार सालों में धीरे-धीरे बढ़कर लगभग 28,700 होने वाले थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय सेना के तीनों अंगों में करियर के अच्छे अवसर मौजूद हैं लेकिन अग्निपथ योजना युवाओं को बहुत यादा आकर्षित नहीं कर पाई। इसके कई कारण है।

मुख्य कारण यह है कि 4 साल की सीमित सेवा अवधि और सेवा समाप्त होने के बाद केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी नौकरी का अवसर मिलता है। इसके अलावा सेवा के दौरान ग्रेच्युटी और पैंशन जैसी सुविधाओं की कमी और सेवा समाप्ति के बाद नागरिकों के रूप में रोजगार के अवसरों को लेकर भी चिंताएं है। यद्यपि राय सरकारों और कई केन्द्रीय मंत्रालयों ने अग्निवीरों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है लेकिन इससे चिंताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही।

4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद 74 प्रतिशत अग्निवीरों को नए करियर की तलाश करनी पड़ती है। इसे लेकर भी युवाओं में दुविधा की? स्थिति बनी रहती है। बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सैनिकों की भर्ती के लिए भारत ही नहीं बल्कि हर देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। कारगिल समीक्षा समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के लिए गठित मंत्री समूह की रिपोर्टों में सशस्त्र बलों में युवा कर्मियों की जरूरत और पैंशन के बोझ को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। समितियों ने यह भी माना था कि सशस्त्र बलों के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में कठिनाइयां आ रही है। मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल हर समय अपनी सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू स्थिति में रहे, सेवाओं में युवा प्रोफाइल सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए ही अग्निपथ योजना की शुरूआत की गई थी। अग्निपथ योजना भारत की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और एक युवा तकनीकी रूप से अधिक कुशल सेना तैयार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि इस योजना को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए अग्निवीरों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है। बेहतर यही होगा कि योजना में सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 8 या 10 वर्ष कर दिया जाए। यह अवधि अग्निवीरों को आकर्षित करेगी। अग्निवीरों को सेना में मूल्यवान, अनुभव और कौशल प्राप्त होता है लेकिन विशिष्ट नागरिक भूमिकाओं के लिए कुछ आवश्यक कौशलों की उनमें कमी हो सकती है। इसके लिए भी स्किल डिवेलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अग्निवीरों के सेवाकाल और सेवा के बाद उपायों को अपनाकर इस योजना को आकर्षक बनाया जा सकता है। इससे सशस्त्र बल तो सशक्त बनेंगे ही साथ ही अग्निवीरों को सैन्य और नागरिक दोनों ही सफलताओं के लिए सशक्त बनाएगी। यह इस दृष्टिकोण के अनुरूप होगा जो व्यक्तियों और राष्ट्र दोनों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करता है। राष्ट्र की सुरक्षा पंक्ति न तो जवानों की दृष्टि से और न ही आधुनिकतम हथियारों की दृष्टि से कमजोर होनी चाहिए। हर भारतीय अपनी सेना पर गर्व करता है क्योंकि उनके त्याग और बलिदान का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता।

दूरदर्शी दौर की शुरुआत हैं नए लेबर कोड

भारत आजादी के बाद होने वाले सबसे बड़े श्रम सुधारों में से एक के करीब है। चार नई श्रम संहिताएं- वेतन संहिता (वेज कोड), इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड- अब लागू हो चुके हैं। इन संहिताओं का उद्देश्य पुराने और जटिल 29 केंद्रीय मजदूरी कानूनों की जगह एक सरल, तकनीक-आधारित और मजदूर-केंद्रित व्यवस्था स्थापित करना है। यह सुधार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है, जो यह दिखाता है कि भारत एक न्यायपूर्ण, प्रतिस्पर्धी, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही प्रणाली आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार देती है। कई दशकों तक भारत में मजदूरी कानून बहुत बिखरे हुए और एक-दूसरे से ओवरलैप करते रहे। इससे उद्योगों पर भारी नियमों का बोझ पड़ा और अनुपालन करना मुश्किल हो गया। केंद्र और राय के अलग-अलग कानूनों के तहत कई तरह के पंजीकरण, लाइसेंस और निरीक्षणों ने लागत बढ़ाई, मजदूरों के कल्याण से ध्यान हटाया और अक्सर उद्योग और सरकार के बीच अविश्वास पैदा किया। नई मजदूरी संहिताएं पूरे देश में परिभाषाओं और अनुपालन नियमों को एक जैसा बनाती हैं। इसके साथ ही वन नेशन, वन लेबर लॉ का सिद्धांत लागू होता है। इससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को स्पष्ट, सरल और न्यायपूर्ण प्रक्रियाओं का फायदा मिलता है। एकीकृत पंजीकरण और डिजिटल व्यवस्था से दोहराव खत्म होता है, प्रक्रियाएं तेज होती है और जवाबदेही मजबूत होती है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। मजदूरी संहिताओं की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक सुरक्षा का बड़ा विस्तार और सुधार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में लगभग 19 फीसदी आबादी से बढ़कर 2025 में 64 फीसदी से अधिक हो गया है, जो लगभग 94 करोड़ लोगों को शामिल करता है। नई मजदूरी संहिताएं इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, श्रम कानूनों के केंद्र में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को मजबूत रूप से स्थापित करती हैं। नई संहिताएं मानती हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में कामकाज का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जहां गिग और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। पहली बार, ऐसे श्रमिकों को कानूनी पहचान दी गई है और उनके लिए खास सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हिस्सा डालेंगे। राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल गिग और असंगठित श्रमिकों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, जिससे वे अलग-अलग योजना लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें और सामाजिक सुरक्षा को एक शहर से दूसरे या एक ऐप से दूसरे ऐप पर ले जा सकें। ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड कार्यस्थल की सुरक्षा के मानकों को और ऊंचा करता है, जिससे भारत के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य को मजबूती मिलती है।

मुस्लिम वोट के लिए ममता का एसआईआर पर विरोध

ममता ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस नहीं भेजना चाहिए। ममता ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का किया विरोध किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हर रोहिंग्या मुस्लिम आतंकी नहीं है। उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। ममता का ये बयान केंद्र द्वारा ये कहने के बाद आया था कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उनके संपर्क आईएस और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से हैं। ममता ने कहा था, हम संयुक्त राष्ट्र के साथ हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या लोगों की मदद की अपील की है। हम इसका समर्थन करते हैं। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। वे पहचान उजागर होने के डर से सीमा की तरफ भाग रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी एसआईआर का जमकर विरोध कर रही है। इसी तरह का विरोध कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों ने भी बिहार में किया था। इसके बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ममता को डर है कि यदि एसआइआर का विरोध नहीं किया और अवैध शरणार्थियों में भगदड़ जारी रही तो इसका वोट बैंक पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

बिहार में राजद-कांग्रेस विपक्षी महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद पश्चिमी बंगाल में वर्ष 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चौसर बिछ गई है। इस चौसर पर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई भी दांव हाथ से नहीं देना चाहती हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी एसआइआर का जम कर विरोध कर रही हैं। इस विरोध की जड़ में छिपा हुआ है ममता का मुस्लिम वोट बैंक प्रेम। ममता एक तरफ अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने का पुरजोर समर्थन करती रही है। ममता का प्रयास है कि भाजपा उत्तर भारत के रायों की तरह पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाए। इसलिए ममता मुस्लिम वोट बैंक के खिसके बगैर हिन्दू वोट बैंक को भी साधने की फिराक में है। पश्चिम बंगाल के 294 सीट के लिए मार्च-अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होना है। यह चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। इस चुनाव को राय की सत्ता पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी दलों के लिए एक निर्णायक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं भाजपा, वाम दल और कांग्रेस भी नए गठबंधनों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि ममता एसआइआर को विरोध का राजनीतिक हथियार बना लिया है। पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 रायों में जब से वोटर लिस्ट के एसआईआर करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके बाद से पश्चिम बंगाल से अवैध रूप से बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। दोनों देशों में अवैध रूप से सीमापार करके आने-जाने का यह सिलसिला पहले घुसपैठियों के अलावा अधिकतर तस्करों के बीच होता था। लेकिन अब जिस तरह से भारत से बांग्लादेश जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसे घुसपैठियों का बांग्लादेश वापस लौटना माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल से लगते भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल तेज है। इसमें कुछ लोग पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनमें कुछ कामयाब भी हो रहे है। हालांकि, बॉर्डर पर चौकस बीएसएफ को देखकर ऐसे लोग जंगलों में भाग जाते हैं। लेकिन बीएसएफ की नजर में ऐसे कुछ मामले आ रहे हैं। जिनमें पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेश की तरफ जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 रायों में एसआईआर शुरू करने की प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू की थी। चार दिसंबर तक वोटरों को एनुमरेशन फार्म बांटे जाने और वापस लिए जाने हैं। आयोग का कहना है कि अभी तक पश्चिम बंगाल के कुल सात करोड़ 66 लाख से अधिक मतदाताओं में से सात करोड़ 63 लाख से अधिक वोटरों को एनुमरेशन फार्म बांटे जा चुके हैं। यह काम 99 फीसदी पूरा कर लिया गया है। अब भरे गए फार्म इकट्ठा करना शुरू किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भारतीय चुनाव आयोग के स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन का लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में राय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी रैली के बाद बनगांव में एक विरोध मार्च में भी हिस्सा लेंगी। ये दूसरी एसआईआर विरोधी रैली और विरोध मार्च होगा जिसका नेतृत्व ममता करेंगी। पहली रैली 4 नवंबर को कोलकाता में हुई थी। जब-जब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर किसी तरह का संकट नजर आता है, ममता बनर्जी हमेशा उनके पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए वह पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राय के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। बनर्जी ने शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा था कि पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देश में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति के कारण संभावित मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है। ममता बनर्जी के इस बयान पर बांग्लादेश की सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश ने इस मामले पर अपनी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को एक खत भेजा था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा था कि 'पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरे सम्मान के साथ, जिनके साथ हमारे बहुत ही मधुर और घनिष्ठ संबंध हैं, हम यह साफ करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम पैदा करने की बहुत गुंजाइश है। इसलिए, हमने भारत सरकार को एक खत भेजा है। बांग्लादेशी ही नहीं बल्कि रोहिंग्या शरणार्थियों की भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुल कर पैरवी की। ममता ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस नहीं भेजना चाहिए। ममता ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का किया विरोध किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हर रोहिंग्या मुस्लिम आतंकी नहीं है। उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। ममता का ये बयान केंद्र द्वारा ये कहने के बाद आया था कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उनके संपर्क आईएस और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से हैं। ममता ने कहा था, हम संयुक्त राष्ट्र के साथ हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या लोगों की मदद की अपील की है। हम इसका समर्थन करते हैं। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। वे पहचान उजागर होने के डर से सीमा की तरफ भाग रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी एसआईआर का जमकर विरोध कर रही है। इसी तरह का विरोध कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों ने भी बिहार में किया था। इसके बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ममता को डर है कि यदि एसआइआर का विरोध नहीं किया और अवैध शरणार्थियों में भगदड़ जारी रही तो इसका वोट बैंक पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब वोट बैंक की राजनीति के लिए राजनीतिक दल देश की एकता-अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की पैरवी कर रहे हैं। यह निश्चित है कि ऐसी हरकतों से बेशक चुनाव जीते जा सकते हों, किन्तु इसके दूरगामी परिणाम देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा पर पड़ते हैं। बेहतर होगा कि नेता देश के बारे सोचें और ऐसे तत्वों पर कानूनी कार्रवाई की पहल करें, जिससे देश को किसी भी तरह का खतरा हो।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार पाठी ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सायर पीपलतपना एसएस, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार पाठी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08862)

हाईकोर्ट बैंच स्थापना के लिए वकीलों ने किया सांसद का घेराव

मुरादाबाद।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मुरादाबाद लोकसभा सांसद रुचि वीरा के आवास का घेराव किया। उन्होंने सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा।

यह प्रदर्शन हाई कोर्ट स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी, मुरादाबाद के नेतृत्व में किया गया। घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी, मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट और महासचिव कपिल गुप्ता एडवोकेट ने किया। अधिवक्ताओं ने सांसद रुचि वीरा से अनुरोध किया कि वह 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएं। अधिवक्ताओं ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा दशकों से न्यायिक सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी सहारनपुर से लगभग 750 किलोमीटर और मैनपुरी से 450 किलोमीटर से अधिक है। तुलनात्मक रूप से, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़, दिल्ली हाईकोर्ट, ग्वालियर पीठ (मध्य प्रदेश) और राजस्थान हाईकोर्ट की दूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपेक्षा आधी है। अधिवक्ताओं के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का न होना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और सस्ते व सुलभ न्याय की भावना के विपरीत है। महासचिव कपिल गुप्ता ने कहा कि संघर्ष समिति के आह्वान पर सांसद के आवास का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि समिति के आगामी निर्देशों के अनुसार आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने जोर देकर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी न्यायिक कठिनाइयों का सामना कर रही है, और इसका एकमात्र समाधान हाईकोर्ट बेंच की स्थापना है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता इस मुद्दे पर आम जनता को भी साथ जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि यह केवल अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि आम जनता का मुद्दा है, और एकजुट हुए बिना यह मांग पूरी नहीं हो सकेगी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ, राकेश जौहरी, अभिषेक भटनागर, आदित्य कुमार श्रीवास्तव, संजीव राघव, आवरण अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

संवैधानिक आदर्शों को जीवन में उतारें युवा: डॉ. व्यस्त

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त ने संविधान के उद्देश्यों, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए लॉ के स्टुडेंट्स को संविधान शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि संविधान शपथ केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति एक जीवंत प्रतिबद्धता है। उन्होंने युवा पीढ़ी को संवैधानिक आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। डॉ. व्यस्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ की ओर से संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। एमएलसी श्री सत्यपाल सैनी ने भारतीय संविधान की विशिष्टताओं, उसकी सर्व समावेशी संरचना और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाए रखने में नागरिकों की जिम्मेदारी पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने लॉ स्टुडेंट्स से कहा कि संविधान केवल परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है, जिसे समझना और संरक्षित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इससे पूर्व समारोह की शुरुआत

संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन और संविधान शपथ के साथ हुई। समारोह में शामिल अतिथियों और प्रतिभागियों ने एकस्वर में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। लॉ कॉलेज के डीन प्रो. हरबंश दीक्षित ने कहा कि भारत का संविधान एक जीवित और विकसित होता हुआ दस्तावेज है। संविधान केवल अध्ययन की वस्तु नहीं, यह नागरिक आचरण का मार्गदर्शक है। विधि छात्र होने के नाते संवैधानिक मूल्य जीना ही स'ची विधि-शिक्षा है। उन्होंने बताया, भारत ने विभिन्न संविधानों से सर्वोत्तम सिद्धांतों को परखकर चुना और उन्हें भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप ढाला। यह नकल नहीं थी, बल्कि यह एक विवेकपूर्ण चयन था, जिसने विश्व के सबसे सुदृढ़ लोकतंत्र की आधारशिला रखी। प्रो. दीक्षित ने विभिन्न देशों का उदाहरण देते हुए बताया, कहीं सरकारें बार-बार अस्थिर हो जाती हैं, तो कहीं संविधान लगातार बदला जाता है। कहीं लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पातीं। इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारत का संविधान सात दशक से अधिक समय से स्थिरता, प्रगतिशीलता और लोकतांत्रिक संस्कृति का आधार बना हुआ है। लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सुशील कुमार सिंह ने संविधान को राष्ट्र की आत्मा बताते हुए कहा, एक जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को जीवंत रख सकता है। उन्होंने स्टुडेंट्स को कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील रहने की प्रेरणा दी। समारोह में डॉ. अमित वर्मा, डॉ डाल चंद गौतम, डॉ. कृष्ण मोहन मालवीय, डॉ सुशीम शुक्ला, डॉ बिशनानंद दुबे, डॉ. सौरभ बटार, डॉ. योगेश गुप्ता, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. करिश्मा अग्रवाल, डॉ. माधव शर्मा के संग-संग लॉ के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

हथकरघा पुरस्कार योजना: बुनकरों ने कलेक्ट्रेट में लगाई प्रदर्शनी

मुरादाबाद। परिक्षेत्र स्तरीय संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के अंतर्गत बुनकरों ने कलैक्ट्रेट सभागार में प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में हथकरघा बुनकरों द्वारा तैयार 30 हथकरघा सैम्पलों का प्रदर्शन किया गया। संत कबीर रा'य हथकरघा पुरस्कार योजना के लिए मुरादाबाद परिक्षेत्र स्तर पर सैम्पलों का चयन जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया। प्रथम स्थान नाजरा खातून पत्नी मौ. फारूख, निवासी मौहल्ला मनिहारन भोजपुर जनपद मुरादाबाद, द्वितीय स्थान खुशमुदा पत्नी जलालुद्दीन निवासी शिवालाकलां जनपद बिजनौर एवं तृतीय स्थान गुलशन बेगम पत्नी मौहम्मद इरफान निवासी टाण्डा जनपद रामपुर का रहा। सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि परिक्षेत्र स्तर पर चयनित इन सैम्पलों को राज्य स्तरीय पुरस्कार में प्रतिभाग करने हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ. प्र. कानपुर को भेजे जायेंगे।

सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा- अल्लामा जाबिर हुसैन सिद्दीक़ी

हजारीबाग।

बुधवार को अंसार नगर, पगमल, हजारीबाग़ स्थित मास्टर मोहम्मद ख़लील मरहूम के आवास पर उनके जवान बेटे एहसान मंजर के इंतकाल के दुखित अवसर पर एक महान सभा को संबोधित करते हुए ख़ुसूसी मुक़र्रिर प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा जाबिर हुसैन सिद्दीक़ी ने फरमाया कि- जब से यह दुनिया बनी है। एक नहीं अनेक और बेहिसाब लोग इस दुनिया में आए और अपना जीवन बिता करके, सदा के लिए ये दुनिया छोड़कर, यहां से चले गए। आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम व निशान तक मिट गया। उनका आज नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। सभी लोग यहां आए हैं, सिर्फ़ चंद दिन के लिए। अगर, कोई रहेगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ुदा की ज़ात रहेगी। वही एक ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बाक़ी सब फ़ना हो जाएंगे। आज मास्टर ख़लील साहब के साहबज़ादे एहसान मंजर हमारे बीच से चले गए। मगर, हमें उनकी बातें याद आती हैं। वो दिन दूर नहीं, जब हम नहीं रहेंगे, तो लोगों को हमारी यादें और हमारी बातें याद आएंगी। हमें यह चाहिए कि हम अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों को ख़ुश रखें। ताकि, समाज में हमारे जाने के बाद हमारा नाम बाक़ी रहे। सभा में दारूल उल्लूम अहले सुन्नत गुलशन ए मुस्तफ़ा के तलबा समेत, क़ारी कमाल अहमद रिज़वी, क़ारी अब्दुल लतीफ़ क़ादरी, हाफ़िज़ अफ़ज़ल हुसैन, मोहम्मद उस्मान समेत दर्जनों लोगों ने भाग लिया और अंत तक सभा में उपस्थित रहे। अंत में डाक्टर मोहम्मद दानिश साहबज़ादे एहसान मंजर मरहूम ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया के साथ, उन्हें उनके घरों को विदा किया और अल्लामा जाबिर हुसैन सिद्दीक़ी की दुआ पर सभा समाप्त की गई।

स्व0 मास्टर नईमउल्ला के मिशन व विजन को आगे बढ़ाना ही है सची श्रद्धांजलि- मौलाना मो0 अहमद बेग

बहराइच।

शहर के मोहल्ला काजीपुरा स्थित मिल्ली इस्लामिक स्कूल में मिल्ली इमदादी सोसायटी द्वारा आयोजित अवकाफ, एसआईआर एवं स्वर्गीय मास्टर मोहम्मद नईमउल्ला के जीवन दर्शन व सेवाओं की याद में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मौलाना अकीलउल्ला शाहिद नदवी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौलाना मोहम्मद अहमद बेग उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बेग ने कहा कि अवकाफ को दर्ज कराना एवं एस आई आर में शामिल होकर अपना सही डाटा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। श्री बेग ने स्वर्गीय मास्टर नईमउल्ला की सेवाओं को याद करते हुए कहा कि वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अन्जुम व कारवां थेउनके मिशन व विजन को आगे बढ़ाना ही उनकी सची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मौलाना अकीलुल्लाह शाहिद नदवी ने अवकाफ और एसआईआर को लेकर गंभीरता पूर्वक काम अंजाम देने की सलाह दी। श्री नदवी ने कहा कि मुसलमानों को साजिश के तहत वक्फ मामलों के साथ ही एसआईआर के काम में उलझा दिया गया है लेकिन जिम्मेदारी के साथ दोनों महत्वपूर्ण कामों को नियमानुसार सौ फीसद अन्जाम देने

मौलाना शाहिद नदवी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एक दर्जन वक्ताओं व साथियों को शाल पेशकर किया गया सम्मानित

की कोशिश करना चाहिए। श्री नदवी ने कहा कि आज इन दोनों महत्वपूर्ण कामों को अछे ढंग से कर लिया तो भविष्य में फख्र होगा। इसके अलावा लगभग आधा दर्जन वक्ताओं ने अपने- अपने विचार व्यक्त किए। ज्ञात हो कि इस अवसर पर स्व0मास्टर नईमउल्ला के साथियों और एक दर्जन वक्ताओं को शाल पेशकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मिल्ली इस्लामिक स्कूल के आधा दर्जन छात्र-छात्राओं ने देश के महापुरुषों संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर, पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम,प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद व लाल बहादुर शास्त्री आदि के जीवन पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मास्टर अब्दुल कुद्दूस, मास्टर हशमत उल्ला, मौलाना फुरकान कासमी, मौलाना वलीउर्रहमान, मौलाना नफीस नदवी, मास्टर अब्दुल खालिक, हाजी खादिम अली, शरीफ बाबा, हाजी युनूस पहलवान, मो0 सगीर पूर्व खिलाड़ी, मौलाना डा0 अबरारूल हक, सै मो0 अजीम, वली मोहम्मद कुरैशी,राज कुमार, व प्रिंसिपल मनीष सिंह आदि सैकड़ो की तादाद में लोग मौजूद थेइस कार्यक्रम का संचालन मौलाना वसी उल्लाह ने किया तथा कार्यक्रम का समापन मौलाना अख्तर कासमी की दुआ से हुआ।

राजनाथ सिंह के यहां लंच, जेपी नड्डा के घर डिनर, दिल्ली में बीजेपी-एनडीए की राजनीतिक हलचल तेज

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भारतीय राजनीति में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। जहाँ सत्ता पक्ष इस विजय को राष्ट्रीय जनमत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वहीं विपक्ष का संकट और गहराता दिखाई देता है। इसी बीच कांग्रेस के भीतर खुले असंतोष ने पार्टी नेतृत्व की कमजोर पकड़ को उजागर कर दिया है। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने जहां हार पर गहरी निराशा जताई, वहीं वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने खुलकर केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा की मेहनत के सामने कहीं नहीं था। यही नहीं, राशिद अल्वी ने राहुल गांधी को अप्राप्य बताते हुए पार्टी को कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपने की वकालत तक कर डाली। राशिद अल्वी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल दागते हुए कहा, "राहुल गांधी से मिलना आसान नहीं है, पार्टी को मुखारना है तो प्रियंका गांधी को कमान दें। हम आपको याद दिला दें कि यही बात पहले भी कई नेता कह चुके हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात का समय नहीं मिलता और समय मिलता भी है तो राहुल गांधी मुलाकात के समय बात सुनने की बजाय कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त रहते हैं। दूसरी ओर, इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीच संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बुधवार दोपहर एक अहम बैठक हुई। इसमें भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, मनोहर लाल खट्टर सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की उपस्थिति ने इस बैठक को और राजनीतिक महत्व प्रदान किया। बैठक का एजेंडा स्पष्ट था– एनडीए को एकजुट रखते हुए सत्र में विपक्ष को रणनीतिक रूप से घेरना और बिहार की जीत को एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदलकर आगे की चुनावी तैयारी में गति देना। शाम को भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने बिहार विजय में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं के सम्मान में अपने आवास पर स्नेहभोज रखा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन ने भाजपा की आगे की दिशा स्पष्ट कर दी।

शाह ने बिहार जीत को पूरे देश की जीत बताते हुए जोर दिया कि जनता ने एक बार फिर मोदी-नीतीश नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा– हमें रुकना नहीं है, बंगाल और तमिलनाडु की तैयारी शुरू कर दीजिए। यह बयान साफ संकेत देता है कि भाजपा आने वाले चुनावों को 2029 की राह में महत्वपूर्ण पड़ाव मान रही है। देखा जाये तो बिहार की जीत का राजनीतिक प्रभाव तात्कालिक सीमाओं से आगे जाता है। यह भाजपा के लिए सिर्फ एक राज्य की सत्ता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार बन गया है। चुनाव परिणामों ने संकेत दे दिया है कि भाजपा आने वाले महीनों में विपक्ष से कहीं अधिक संगठित, उत्साहित और रणनीति-प्रधान रूप में उभरेगी। वहीं विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, नेतृत्व संकट से जूझ रहा है।

हॉन्गकॉन्ग में 77 साल में सबसे भीषण आग- 55 मौतें

8 बहुमंजिला इमारतें जलीं, 280 अभी भी लापता, ठेकेदार समेत 3 गिरफ्तार

हॉन्ग कॉन्ग।

हॉन्गकॉन्ग के ताई पो जिले में बुधवार को एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। यह 77 साल में लगी सबसे भीषण आग बताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 76 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं, 280 लापता हैं। ये कॉम्प्लेक्स आठ इमारतों का था, जिनमें हर इमारत 35 मंजिलों की थी। इसमें करीब दो हजार अपार्टमेंट थे। वांग फुक कोर्ट के ये टावर बांस की मचान से ढके हुए थे। चार इमारतों में लगी आग पर लगभग 10 घंटे बाद सुबह तक काबू पा लिया गया। तीन इमारतों में आग पर 20 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। मामले में पुलिस ने ठेकेदार समेत तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन पर आग के मामले में लापरवाही या गैर-इरादतन हत्या का शक जताया गया है। पुलिस ने इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। वहीं, 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव से पहले चुनाव प्रचार गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं।

राहुल गांधी की पार्टी पर विदेशी इन्फ्लुएंसर्स का साया?

नई दिल्ली।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता संबित पात्रा ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) पर भारत में एक नैरेटिव बनाने और लोगों को देश के खिलाफ भड़काने के लिए विदेशी प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) के नए लोकेशन फीचर ने कई कांग्रेसी अकाउंट और ऐसे ही अन्य पार्टी समर्थित प्रभावशाली लोगों का पर्दाफाश कर दिया है। पात्रा के अनुसार, कई कांग्रेसी नेता और पार्टी के राज्य स्तर के अकाउंट भारत के बाहर अपना लोकेशन दिखा रहे थे, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ समय बाद लोकेशन बदल दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस समर्थित प्रभावशाली लोग है,

बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप

और कारवां इंडिया पत्रिका और तथ्य-जांचकर्ता ऑल्ट न्यूज़ जैसे समाचार संगठन भी अपने अकाउंट भारत से बाहर दिखा रहे है। पात्रा ने आरोप लगाया कि विकल्प दिए जाने के बाद कई लोगों ने अपनी लोकेशन बदल दी। अब इसे बदल सकते हैं, छुपा सकते है। इसलिए जब कई लोगों को पता चला कि उनकी लोकेशन बाहर दिखाई जा रही है, तो उन्होंने इसे बदल दिया। और कुछ लोगों ने इसे वैकल्पिक बना दिया। उनके अनुसार, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अकाउंट इसे

- लोगों को भड़काने के लिए विदेशी इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल
- संबित पात्रा ने लगाए गंभीर आरोप, देश की सुरक्षा पर सवाल!

संयुक्त राय अमेरिका के आधार पर दिखा रहा है। हालांकि खेड़ा का अकाउंट संयुक्त राय अमेरिका का है और इंडिया ऐप स्टोर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्स का यह भी कहना है कि यह क्षेत्र सटीक नहीं हो सकता क्योंकि अकाउंट संभवतः वीपीएन जैसे प्रॉक्सी का उपयोग कर रहा है जिससे प्रदर्शित देश बदल सकता है। उन्होंने हिमाचल कांग्रेस के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगाए। पात्रा ने बताया कि पवन खेड़ा एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि उनका अकाउंट संयुक्त राय अमेरिका का है। यह जानकारी हमारी पार्टी के एक सूत्र से मिली है। एक और अकाउंट महाराष्ट्र कांग्रेस का है, जिसका अकाउंट आयरलैंड का है। मैंने इससे ठीक पहले जाँच की थी, उन्होंने इसे अब भारत में बदल दिया है। लेकिन जिस समय यह मुद्दा उठाया गया था, तब यह आयरलैंड का था, उनकी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि दुनिया भर में पार्टी समर्थित प्रभावशाली लोगों के बीच श्रम का विभाजन हो रहा है।

भारतीय एलन मस्क का रॉकेट तैयार, पीएम मोदी ने विक्रम-1 का किया अनावरण

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-I का भी अनावरण किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। इस अत्याधुनिक सुविधा में लगभग 2,00,000 वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा जहाँ बहु-प्रक्षेपण यानों के डिज़ाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंदना और भरत ढाका ने की है। दोनों ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं जो अब उद्यमी बन गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नवंबर 2022 में, स्काईरूट ने अपना सब-ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-एस, लॉन्च किया और अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। इसे भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

चाहे कुछ भी हो जाए बंगला नहीं छोड़ेंगे- राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर राजद का कड़ा रुख

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कहा कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लगभग दो दशकों से जिस सरकारी बंगले में रह रही हैं, उसे खाली नहीं करेंगी। पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यह बयान राय भवन निर्माण विभाग द्वारा राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष की नेता के लिए निर्धारित आवास 39, हार्डिंग रोड में स्थानांतरित करने के निर्देश के एक दिन बाद दिया। पत्रकारों से बात करते हुए, मंडल ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के सामने स्थित 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगला, "चाहे कुछ भी हो जाए, खाली नहीं किया जाएगा। मंडल ने आरोप लगाया कि यह निर्णय राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, और कहा कि इससे सत्तारूढ़ एनडीए की हमारे नेता लालू प्रसाद के प्रति दुर्भावना की बू आती है। मंडल ने सवाल किया कि नीतीश कुमार ने इस पद के लिए बंगला निर्धारित करने में दो दशक का इंतजार क्यों किया और तर्क दिया कि सरकार को 10, सर्कुलर रोड को अपने पास रखना चाहिए था, क्योंकि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रहीं और इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बनीं। राबड़ी देवी 1997 में अपने पति और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद

यादव के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बनीं, जब चारा घोटाला मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। राबड़ी देवी 2018 से बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। इस बीच, हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में, एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया, जो दूसरी बार है जब एनडीए ने राय चुनावों में 200 सीटों का आंकड़ा पार किया। 2010 में, इसने 206 सीटें जीती थीं।

कांग्रेस दिल्ली इकाई के नेताओं ने रेखा गुप्ता के खिलाफ किया प्रदर्शन

नई दिल्ली।

कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति और कई चुनावी वादों को "पूरा नहीं करने" को लेकर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ तथा कई अन्य नेता कांग्रेस कार्यालय '24 अकबर रोड' पर एकत्र हुए और दिल्ली की मुख्यमंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। निजामुद्दीन ने कहा, "मैं उत्तराखंड में जब विधायक बना था तो नारायण दत्त तिवारी जैसा गंभीर मुख्यमंत्री देखा। दिल्ली ने एक समय शीला दीक्षित जी जैसी गंभीर मुख्यमंत्री को

देखा है, लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री है, जो बोलने से पहले सोचती तक नहीं है।" उन्होंने दावा किया कि रेखा गुप्ता के शब्दकोश में दिल्ली की जनता को राहत देने का कोई शब्द नहीं है। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा, "यह भी संभव है कि अधिकारी इन्हें गंभीरता से ही नहीं लेते, इनकी बात ही नहीं सुनते।" निजामुद्दीन ने आरोप लगाया, "प्रदूषण जैसे मुद्दे पर जनता की कोई सुनवाई नहीं है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की जुगलबंदी में दिल्ली की जनता पिस रही है।" देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी-बड़ी बातें तो कीं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा, "दिल्ली की माताओं-बहनों से भाजपा ने वादा किया था कि होली-दिवाली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये भेजे जाएंगे। दिल्ली की माताएं-बहनें आज तक इन वादों के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। चलें, जब भी रेखा गुप्ता जी को उनके वादे याद दिलाए जाते हैं, तो उनकी जुबान बंद हो जाती है।

वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा सुलझा लेंगे, भ्रम खत्म कर देंगे- मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नयी दिल्ली में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार समेत वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे। खरगे ने बताया कि इस बैठक में नेता इस मुद्दे को सुलझाएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे जिससे कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे से जुड़ा जो भी भ्रम है, वह खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 20 नवंबर को ढाई साल पूरे होते ही मुख्यमंत्री बदलने को अटकलों के बीच पार्टी में सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। यह विवाद सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच 2023 में हुए कथित सत्ता-साझेदारी समझौते के कारण उठा है। खरगे ने

यहां संवाददाताओं से कहा, दिल्ली जाने के बाद, मैं तीन-चार महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाऊंगा। चर्चा के बाद हम तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, इस तरह भ्रम को खत्म करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाएगा तो उन्होंने कहा, हमें निश्चित रूप से उन्हें बुला कर चर्चा करनी चाहिए। हम उन्हें बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और मुद्दे का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा, मैं सभी को बुलाऊंगा और चर्चा करूंगा। इसमें राहुल गांधी के भी शामिल होने के साथ मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री समेत अन्य सदस्य भी होंगे। सभी से बात करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) प्रमुख ने कहा कि ढाई कमान का मतलब एक टीम है, न कि कोई एक व्यक्ति। उन्होंने कहा, हमारी ढाई कमान टीम इस मामले पर चर्चा करेगी और फैसला लेगी। खरगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वह दिल्ली जाएंगे। शिवकुमार ने भी कहा, मैं और मुख्यमंत्री, हम दोनों आपस में चर्चा करेंगे और हम (दिल्ली) जाएंगे। अगर वे (ढाई कमान) बुलाएंगे, तो हम जाएंगे। इस बीच, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों और करीबी माने जाने वाले नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जी परमेश्वर, सतीश जारकीहोली, एच. सी. महादेवप्पा, के वेंकटेश और केएन राजन्ना शामिल थे।

इमरान खान जेल में, बाहर मौत की अफवाह

इस्लामाबाद।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह तेज हो गई है। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से इमरान की बहनें उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जेल प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। इसके चलते से इमरान की खराब सेहत के कयास लगाए जा रहे हैं। इमरान की बहनों ने सरकार से सच बताने की मांग की है। तनाव बढ़ने के बाद जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी इमरान की सेहत के बारे में झूठ

की अफवाहों के बारे में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही प्रशासन से पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के बीच मुलाकात की व्यवस्था करने की मांग की है।

पीटीआई बोली- इमरान को कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे

पीटीआई ने आरोप लगाया है कि विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स से इमरान की मौत तक की खबरें फैलाई जा रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पार्टी ने सख्त चेतावनी दी है कि इमरान खान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारी सीधे सरकार पर है। अगर कोई अनहोनी हुई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PTI ने अफवाह फैलाने वालों की जांच कराने की भी मांग की।

धरने पर बैठी इमरान की बहनों पर लाठीचार्ज हुआ था

जेल प्रशासन बोला- उनकी तबीयत ठीक, समर्थक मुलाकात पर अड़े, बहनें बोलीं- सच बताएं

इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नोरीन नियाजी और डॉ. उमा खान पिछले कई दिनों से अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही हैं, लेकिन उन्हें भाई से मिलने की अनुमति नहीं मिली। उनकी बहनों ने आरोप लगाया कि धरने के समय उन पर लाठीचार्ज किया गया और सड़क पर खींचकर घसीटा गया। उन्होंने इसे बर्बरता बताया और कहा है कि यह सब इमरान को परिवार से अलग करने की साजिश का हिस्सा है।

भतीजे अजित पर भड़के शरद पवार, बोले- वित्तीय आश्वासनों के आधार पर वोट मांगना गलत

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के 'वोट दो नहीं तो फंड नहीं' वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा है कि वित्तीय आश्वासनों के आधार पर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। पुणे जिले के बारामती में मीडिया से बातचीत के दौरान शरद पवार ने यह भी कहा कि राय सरकार की ओर से बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को दी गई आर्थिक सहायता नाकाफी है। गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष अजित पवार ने पिछले हफ्ते बारामती के मालेगांव में मतदाताओं से कहा था कि अगर वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनते हैं तो वे फंड की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन अगर वे उन्हें नकारते हैं तो वह भी नकार देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानीय निकायों के चुनाव 2 दिसंबर को होने वाले हैं। उपमुख्यमंत्री के बयान के बाद राय कोषागार पर नियंत्रण को लेकर जारी बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि इस समय यह प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कितना फंड दिया जाए। उन्होंने कहा, काम के आधार पर वोट मांगने के बजाय वित्तीय आश्वासनों पर वोट मांगे जा रहे हैं। यह सही नहीं है। अगर चुनाव जीतने का लक्ष्य सिर्फ वित्तीय पहलुओं को सामने रखकर है, तो ऐसी टिप्पणियों की क्या आवश्यकता है। हाल ही में राय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर बात करते हुए राकांपा (एसपी) प्रमुख ने कहा कि किसानों को पर्याप्त मदद की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, राय ने किसानों के लिए एक वर्ष तक कर्ज वसूली रोकने का फैसला लिया है। यह कदम किसानों को अस्थायी राहत देगा, लेकिन लंबी अवधि में नहीं। किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए राय को आर्थिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, जिससे उन्हें ठीक ढंग से मदद मिल पाती।

शोपियां में जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर बड़ा सर्च ऑपरेशन, यूएपीए के तहत कार्रवाई

जम्मू। शोपियां पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शुक्रवार को जिले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। पुलिस शोपियां जिले में कई जगहों पर सावधानीपूर्वक समन्वित तलाशी ले रही थी, जिसमें प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों और परिसरों को निशाना बनाया गया, जिस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर पर भारत सरकार द्वारा कई बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सबसे हालिया प्रतिबंध 2019 में कथित राष्ट्र-विरोधी अलगाववादी गतिविधियों और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों के साथ संबंधों के कारण गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम

के तहत लगाया गया था। फरवरी 2024 में प्रतिबंध को पाँच साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। जमात-ए-इस्लामी एक इस्लामी आंदोलन है जिसकी स्थापना 1941 में ब्रिटिश भारत में इस्लामी लेखक और सिद्धांतकार सैयद अबुल आला मौदूदी ने की थी। 1947 में भारत के विभाजन के बाद, यह आंदोलन दो स्वतंत्र संगठनों में विभाजित हो गया पाकिस्तान में जमात-ए-इस्लामी और भारत में जमात-ए-इस्लामी हिंद। छापेमारी के विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बीच अनंतनाग पुलिस ने 12 नवंबर को भी जिले में समन्वित छापेमारी की थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राय जाँच एजेंसी (एसआईए) की एक टीम ने 20 नवंबर को जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर भी छापा मारा।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जाँच एजेंसियों से कहा कि वे छापेमारी के लिए मीडिया संस्थानों को चुन-चुनकर न करें और प्रेस पर कोई दबाव न डाला जाए। सुरिंदर चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। अगर छापेमारी करनी ही है, तो उसे चुन-चुनकर नहीं किया जाना चाहिए।

एसआईआर के लिए सपा ने सभी जिलों में नियुक्त किए पदाधिकारी... रखेंगे नजर, अनियमितता किए जाने का आरोप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेशभर में लोग फार्म भरकर जमा कर रहे हैं। अब एसआईआर के लिए समाजवादी पार्टी ने सभी जिलों में पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। जो, एसआईआर प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। सपा का आरोप है कि एसआईआर में अनियमितता की जा रही है। जानबूझकर कुछ विशेष लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। सपा की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि सभी लोग आवंटित जिले की विधानसभाओं का तत्काल भ्रमण करें। विधानसभावार बीएलओ की सूची तथा बूथ प्रभारियों की समीक्षा कर लें। बूथों पर कितने प्रपत्र बंट गए हैं, कितने जमा हो गए और कितने अपलोड हो गए हैं। इसकी सघन समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट पार्टी कार्यालय भेजें।